

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/303 ✓

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री सांगीलाल  
पिता मुला जाति बैरवा निवासी वीरडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला  
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम वीरडा पटवार मण्डल वीरडा के खाता संख्या 420 में चमार  
दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।  
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से  
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज  
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी  
सांगीलाल  
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री सांगीलाल पिता मुला की  
ग्राम वीरडा प०म० वीरडा के खाता संख्या 420 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की  
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा  
करें।

जाति नगर  
पटवार मण्डल वीरडा शाहपुरा (भील.)  
पटवारी वीरडा 23-8-2022  
भू०अ०नि०  
वृत्त वीरडा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि. के प्रार्थी श्री सांगीलाल पिता मुला की  
ग्राम वीरडा प०म० वीरडा के खाता संख्या 420 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की  
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
तहसीलदार (भू.अ.)  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिवंशा के प्रार्थी  
श्री सांगीलाल पिता मुला की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम वीरडा  
प०म० वीरडा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 420 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश  
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

238/22  
24/6/22